न्यायालय तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ(राज.)

प्रकरण संख्या 01/2023

निर्णय दिनांक 05/04/2024

श्री सुरेशचन्द्र पिता मूलचन्द रेगर निवासी लुहारिया

प्रार्थी

विरूद्ध

श्री नंदा पिता खेमा भील निवासी रायता

अप्रार्थी

उपस्थिति:-एड.श्री अनिल कुमार शर्मा

एड.श्री गोपाललाल गुरूजी

-:: निर्णय::-

संक्षिप्त मे विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राज.काश्त.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायता पटवार हल्का रायता तहसील बेगूँ की जमाबंदी सम्वत 2078 की खतौनी संख्या 246 मे आ.न.1295/41 रकबा 0.6480 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थी जाति से रेगर होकर अनूसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रार्थी का मुख्य कार्य कृषि होकर इसी से प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजर-बसर करता हुँ प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी स्वामित्व व उपयोग-उपभोग की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करने हेतु उनवान सुरेशचन्द्र रेगर बनाम गायत्रीदेवी वगैरा का एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का दिनांक 07.02.2022 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी(सहायक कलेक्टर) महोदयजी बेगूँ के न्यायालय मे पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जा कर आदेश क्रमांक/सरिश्ता/2022/172 दिनांक 31.05.2022 से तहसीलदार बेगूँ को प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि आराजियात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जिस पर दिनांक 18.06.2022 को मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात की पत्थरगढी की जा कर पत्थरगढी के दौरान तैयार पर्चा मौका अनुसार मौके पर विपक्षी का आराजी न.1295/41 रकबा 0.6480 है. भूमि मे से रकबा 0.28 हैक्टर पर विपक्षी का अवैध रूप से कब्जा होना पाया गया तथा शेष रकबा भूमि पडत हो रास्ता दर्शाया जबकि उक्त कृषि भूमि मेरे खातेदारी की है ।विपक्षी द्वारा अवैध रूप से मेरी खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है। विपक्षी अनूसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति होकर धनाढय व बलशाली एंव राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जिसन धनबल एंव जनबल के आधार पर जबरन ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अवैधानिक रूप से जबरन कब्जा कर रखा है जो मुझ प्रार्थी को विपक्षी से दिलाया जाना विधिसंगत एंव न्यायोचित होकर आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी को जरिये सूचनापत्र तलब किया जिस पर अप्रार्थी की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी जाति से भील है जो अनूसूचित जनजाति का सदस्य है तथा अप्रार्थी नन्दा भील को [illegible] 45 वर्ष [illegible] रायता पटवार हल्का रायता मे आराजी संख्या 1211/19 रकबा 0.4050 है. भूमि [illegible] तब से [illegible] पटवारी व गिरदावर द्वारा मुझ अप्रार्थी को जमीन जैर बहस सिपुर्द की [illegible] पर करीब 45 वर्ष से जमीन जैर बहस पर कब्जा चला आ रहा है व [illegible]

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित जमीन जैर ब[illegible] नही की एंव प्रार्थी ने पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय बेगूँ मे सुरेशचन्द्र रेगर बनाम गायत्रीदेवी वगैरह का प्रार्थना पत्र पस्तुत किया उसमे विपक्षी को पक्षकार नही बनाया गया न पत्थरगढी की जानकारी विपक्षी को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढी करने पटवार हल्का व भू अभिलेख निरिक्षक ठुकराई ने विपक्षी का कब मौका पर्चा बनाया व रकबा 0.28 है. पर विपक्षी का कब्जा दर्शाया इस तरह का अतिक्रमण शुदा नक्शा ट्रेस पेश नही किया जिससे अतिक्रमण किस दिशा व कौन से भू-भाग पर है ।विपक्षी नन्दा भील गरीब व्यक्ति होकर काश्तकार है ।विपक्षी नन्दा भील की आजिविका का एकमात्र साधन उक्त ढाई बीघा भूमि ही है। विपक्षी को 45 वर्ष पहले भूमि आंवटन हुई तथा कब्जा सिपुर्द किये जाने से अब तक विपक्षी ने काफी अंग मेहनत कर अपनी मेहनत की राशी लगाकर जमीन को सुधार किया व सिपुर्द की गई जमीन के चारो तरफ पत्थरो की कोट बनाई है।विपक्षी व प्रार्थी के बीच भूमि के संबंध मे कभी कोई वार्तालाप नही हुई विपक्षी प्रार्थी को जानता तक नही क्योंकि प्रार्थी को कभी जमीन जैर बहस पर कभी नही देखा न काश्त की है।प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है व विपक्षी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है इसलिये यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय मे श्रवणाधिकार मे नही आता है इसलिये प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पश्चात प्रार्थी अभिभाषक द्वारा राजस्व कार्मिको से ग्राउण्ड रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया।राजस्व कार्मिक भू अभिलेख निरिक्षक ठुकराई ,पटवार हल्का रायता द्वारा दिनांक 19.10.2023 को ग्राउण्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।रिपोर्ट तथा पर्चा मौका अनुसार ग्राम रायता की आ.न.1295/41 रकबा 0.6480 है. भूमि वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार सुरेशचन्द्र पिता मूलचन्द रेगर निवासी लुहारिया के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त भूमि भैरू केशर नन्दु पिता नारायण प्रकाश पिता रामचन्द्र रेगर निवासी रायता द्वारा सुरेशचन्द्र को विक्रय की गई थी। आ.न.1295/41 रकबा 0.6480 है. भूमि पर विक्रेतागण भैरू केशर नन्दु पिता नारायण प्रकाश पिता रामचन्द्र रेगर निवासी रायता व क्रेता सुरेशचन्द्र पिता मूलचन्द रेगर निवासी लुहारिया का कब्जा काश्त नही रहा है ।

वर्तमान मे उक्त आराजी पर लगभग 0.19 है. पर नन्दलाल पिता खेमा भील निवासी रायता व कैलाश पिता भाणा हरिजन निवासी रायता का मौके पर कब्जा काश्त लगभग 30-35 वर्षो से चला रहा है। शेष रकबा 0.4580 है. भूमि पर रतनलाल पिता भाणा हरिजन निवासी रायता,गायत्री पिता मदनलाल धाकड निवासी रायता का कब्जा काश्त है एंव उक्त भूमि का अधिकांश रकबा सार्वजनिक रास्ते के उपयोग मे भी आ रहा है ।नन्दलाल भील को आ.न.1211/19 रकबा 0.4050है. भूमि आंवटन हुई थी जो खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है एंव क्क्त आंवटन से ही नन्दलाल विवादित आराजी 1295/41 के भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। नन्दलाल भील को आंवटित भूमि आ.न.1211/19 सार्वजनिक रास्ते के उपयोग मे आ रही है।

दोनो पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आ.न.1295/41 है। पत्थरगढी मे उक्त आराजी मे से 0.28 है. भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही होकर विपक्षी नन्दा भील का कब्जा तथा शेष रकबे पर रास्ता बताया गया है। जबकि दिनांक 19.10.2023 को भू अभिलेख निरिक्षक [illegible] पर विपक्षी नन्दलाल पिता खेमा भील निवासी रायता व कैलाश पिता भाण[illegible]ासी रायता का कब्जा तथा शेष रकबे 0.4580 है. भूमि पर [illegible] रायता,गायत्री पिता मदनलाल धाकड निवासी रायता [illegible] काश्त है एंव [illegible]मि का अधिकांश रकबा सार्वजनिक रास्ते के उपयोग मे भी [illegible] रकबा बताया गया है जो गलत है। जबकि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी की खातेदारी आराज[illegible]95/41 व विपक्षी की आराजी 1211/19 के बीच मे रिकार्डेड रास्ता है। रेकर्ड मे रास्ता पुर्व मे मोजुद है जबकि रिपोर्ट मे इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे राजस्व कर्मियो द्वारा जो रास्ता बताया गया है वह गलत है। मोके पर तीन रास्ते बताये गये जो संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी नंदा द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे अतिक्रमण कर रखा है। राजस्व कर्मियो द्वारा वक्त मौका पर्चा तैयार करते समय प्रार्थी को नही बुलाया गया अतिक्रमियो द्वारा जैसा बताया गया उसी अनुसार पर्चा मौका बना लिया गया। पत्थरगढी रिपोर्ट व बाद मे राजस्व कर्मियो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मे भिन्नता है। अत: कौनसी रिपोर्ट सही है। चुंकि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे अतिक्रमण किया हुआ है अत: भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जावे।

विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि नंदा पिता खेमा भील गरीब व्यक्ति है।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विपक्षी नंदा को धनाढय व बलशाली एंव राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति बताया हैजबकि प्रार्थी गरीब अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है।विपक्षी को ढाई बीघा भूमि वर्ष 1978 मे आंवटन हुई जबकि प्रार्थी को भूमि वर्ष 1986 मे आंवटन हुई है।विपक्षी को जहाँ भूमि आंवटन हुई है वही उसका कब्जा काश्त है आंवटन होने के पश्चात विपक्षी ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया कुँआ खुदवाया ।जबकि प्रार्थी का आंवटित भूमि पर आज दिनांक तक कही भी कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2022 को पत्थरगढी करवाई गई तब उसे पक्षकार नही बनाया गया ।इसलिये उसे पत्थरगढी के बारे मे कोई जानकारी नही है। राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत धारा 183 मे 183(बी) के विशेष प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब तबके के व्यक्तियो को स्वर्ण जाति के व्यक्तियो से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जोडे गये है।विपक्षी स्वर्ण जाति का व्यक्ति नही होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है इसलिये प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान की अधिकारिता से परे है।पत्थरगढी कब की गई दिनांक का उल्लेख पर्चा मौका व भू अभिलेख निरिक्षक ठुकराई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे कही भी नही है। इस प्रकार पत्थरगढी कब की गई व किस प्रकार की गई संदेहास्पद है। प्रार्थी का आंवटित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। आंवटी नारायण पिता धुकल रेगर निवासी रायता का कभी भी आंवटित भूमि पर कब्जा नही रहा है इसी प्रकार उसके वारिसान भैरू केशर नन्दु पिता नारायण प्रकाश पिता रामचन्द्र रेगर निवासी रायता का भी आंवटित भूमि पर कब्जा नही रहा है ।आंवटी को कब्जा सोपे जाने संबंधी ताईद भी राजस्व कार्मिको द्वारा नही की गई।प्रार्थी को जिस भूमि का विक्रय किया गया उक्त विक्रय मात्र दिखावा होकर कागजो मे किया गया है कब्जा सिपुर्द नही किया गया है।प्रार्थी 60 किलोमीटर दुर लुहारिया का रहने वाला है विक्रय पत्र मे जो साक्षी जगदीशचन्द्र पिता जवान गुजर है वह भी तहसील क्षैत्र से बाहर का है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान प्रार्थी अभिभाषक ने जिरह करते हुए तर्क दिया कि विपक्षी को आंवटित भूमि का किस जगह का कब्जा सिपुर्द किया गया उसका सूपर्दगी पर्चा पेश नही किया है। विपक्षी ने प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है अत: उसे अतिक्रमण करने का अधिकार नही है। प्रार्थी ने जमीन क्रय करने के बाद सिचाई का साधन नही होने से फसल नही कोई है।पत्थरगढी करवाते समय पडोसियो को पक्षकार बनाया जाता है। प्रार्थी ... के मध्य मे रास्ता है विपक्षी पडोसी नही है अत: दौराने पत्थरगढी ... विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध मे बहस करते हुए तर्क दिया ... प्रार्थी द्वारा जैर बहस भूमि पर कभी काश्त की है अथवा नही के संबंध मे कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। पडोसियो अथवा किसी अन्य किसी काश्तकार का भी कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार प्रार्थी को जैर बहस भूमि के संबंध मे कोई जानकारी नही है क्योंकि वह कभी मौके पर गया ही नही उसने कभी काश्त कि ही नही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

यह प्रकरण संक्षिप्त विचारण प्रकृति का होकर पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज एंव जाँच रिपोर्ट व पर्चा मौका अनुसार प्रार्थी जो जाति से रेगर होकर अनूसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके नाम दर्ज खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थीगण नन्दलाल पिता खेमा भील निवासी रायता , कैलाश पिता भाणा हरिजन, रतनलाल पिता भाणा हरिजन निवासी रायता,गायत्री पिता नन्दलाल धाकड निवासी रायता का अनाधिकृत कब्जा रहा है जिसे बनाये रखे जाने का कोई कानूनी अधिकार उक्त अतिक्रमियो को नही है जिसेस उन्हे बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा सिपुर्द कराया जाना हम कानूनी रूप से उचित समझते है।

अत: प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधि. स्वीकार किया जाकर ग्राम रायता पटवार हल्का रायता की आराजी संख्या 1295/41 रकबा 0.6480 है.भूमि मे गुजर रहे सार्वजनिक रास्ते को पुर्ववत चालु रखते हुए शेष भूमि पर काबिज अतिक्रमी नन्दलाल पिता खेमा भील निवासी रायता , कैलाश पिता भाणा हरिजन, रतनलाल पिता भाणा हरिजन निवासी रायता,गायत्री पिता नन्दलाल धाकड निवासी रायता को बेदखल कर प्रार्थी खातेदार को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हल्का पटवारी एंव भू अभिलेख निरिक्षक को पालनार्थ पत्र जारी किया जावे एंव 15 योम मे पालना रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली बाद पालना निर्णय फैसल शुमार की जावे।

(धर्मेन्द्र स्वामी)
आरटीएस
तहसीलदार बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested